

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

केस संख्या 7/105/2022

उनवान:-

~~गोमा देवी बनाम कुर्नौड़~~

26/5/22

~~पतावली पैसा डेबे। गोरुपिया हरेप उपलिया।
गोरुपिया/पादिपा का बूतवाप पिडा के
खरिज किया गया है। बूतवाप खरिज के जाने
पर प्राप्त्र गा की मंडीले चलाये जाने का
कोई मोचित्य नहीं है, बूतवाप के मउदरण
में गोरुपिया का प्रत्येक एक पिडा डिपे जये
अन्वहि निषेधारा की स्वीकार किया जाका
गोरुपिया का प्रत्येक अन्वहि निषेधारा के
पिडा से खरिज डिपा जाका है। पतावली में जय
रुमा होडा डेबे के कम होडा डेबे
दफ्तार है। निषेध माप डिपे 26/5/22 के
लिखाया जाका है इफलात हुताप गजा~~

9.

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय